

## न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय भीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 255/2021

दायर दिनांक 14.09.2021

## वादीगण

1. मोहनी देवी पत्नि भोलू
2. भगवानाराम पुत्र कालूराम  
समस्त जाति जाट निवासी  
बकवास, तहसील डीडवाना  
जिला नागौर राज0।

बनाम्

## प्रतिवादीगण

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार  
डीडवाना
2. भू-प्रबंधक अधिकारी सीकर
3. शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल थार  
ग्रामीण बैंक शाखा खुनखुना।
4. शाखा प्रबंधक यू.बी.आई बैंक  
शाखा खुनखुना।

दावा बाबत  
रेकॉर्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा- 88 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीगण।

-:: निर्णय ::-


दिनांक 21.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 250 रकबा 0.04 हैक्टे0 गै0 मु0 सड़क, खसरा सं0 251 रकबा 0.08 हैक्टे0, खसरा सं0 264 रकबा 0.100 हैक्टे0 गै0 मु0 सड़क, खसरा सं0 265 रकबा 0.020 हैक्टे0, खसरा सं0 266 रकबा 0.010 हैक्टे0 गै0 मु0 नलकूप, खसरा सं0 267 रकबा 0.090 हैक्टे0, खसरा सं0 303 रकबा 0.64 हैक्टे0, खसरा सं0 337 रकबा 0.060 हैक्टे0 गै0 मु0 सड़क, खसरा सं0 340 रकबा 0.1300 हैक्टे0 वाकै शरहद बकवास पटवार क्षेत्र खरेश, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि अभी वर्तमान में आये सेटलमेन्ट अधिकारियों ने खसरा सं0 337 रकबा 0.060 हैक्टे0 नजरी नक्शे में मार्क ए से बी किस्म गै0मु0 सड़क दर्ज कर दी। जबकि नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी सड़क मौके पर कभी भी दर्ज नहीं थी। नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है।

यह है कि राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा खसरा सं0 337 की किस्म गै0मु0 सड़क मार्क ए से बी गलत दर्ज कर दिया है जिससे वादीगण को वादीगण को कृषि कार्य करने तथा अन्य कई प्रकार की समस्याओं की सामना करने की आशंका है तथा वादीगण की कृषी भूमि खसरा सं0 337 गै0 मु0 सड़क दर्ज होने से वादीगण के के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है।



  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

प्रार्थना वादीगण इस प्रकार है:-

यह है कि खसरा सं० 337 की किस्म गै० मु० सड़क हटाया जाकर नजरी नक्शे में दर्शाये मार्क ए से बी भाग की भूमि वादीगण की कृषि भूमि में राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण का नाम अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। इस आशय की डिक्री वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध जारी की जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के क्रमांक/रीडर/2022/1735 दिनांक 24.08.2022 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट में दर्शित मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं० 337 की किस्म राजस्व रेकॉर्ड में गै० मु० सड़क दर्ज है पर मौके पर पर खसरा सं० 337 मौके पर कृषि कार्य हेतु काम में लिया जा रहा है व मौके पर रास्ते के आलामात भी नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बकवास पटवार क्षेत्र खरेश, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना खसरा सं० 337, 250 की किस्म गै०मु० सड़क के स्थान पर वादी की कृषि भूमि दर्ज की जाती है तथा खसरा सं० 337 के राजस्व नक्शे से नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से गै० मु० सड़क को हटाया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलक्टर  
R.A.S.  
डी.सहायक कलक्टर  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलक्टर  
R.A.S.  
डीडवाना (नागौर)  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

डिक्री व मुकदमा में इब्दाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 255/2021

दायर दिनांक 14.09.2021

वादीगण

1. मोहनी देवी पत्नि भोलू
2. भगवानाराम पुत्र कालूराम  
समस्त जाति जाट निवासी  
बकवास, तहसील डीडवाना  
जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार  
डीडवाना
2. भू-प्रबंधक अधिकारी सीकर
3. शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल थार ग्रामीण  
बैंक शाखा खुनखुना।
4. शाखा प्रबंधक यू.बी.आई बैंक  
शाखा खुनखुना।

दावा बाबत  
रेकॉर्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा- 88 R.T.Act.


दिनांक 21.09.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी  
मिनजानिब मुदई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीगण की और से मदायलह पेश होकर  
हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर,  
वाकै सरहद बकवास पटवार क्षेत्र खरेश, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुनखुना तहसील  
डीडवाना खसरा सं0 337 की किस्म गै0मु0 सड़क के स्थान पर वादी की कृषि भूमि  
दर्ज की जाती है तथा खसरा सं0 337 के राजस्व नक्शे से नजरी नक्शा में दर्शित मार्क  
ए से बी गै0 मु0 सड़क को हटाया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।


नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

खर्चा इस मुकदमा में के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।  
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 21.09.2022 को सरे इजलास  
में जारी की गयी।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना  
नागौर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये  
दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना नागौर